इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 370] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2012—श्रावण 26, शक 1934

खेल एवं युवा कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र. एफ-2-13-2011-नौ.—मध्यप्रदेश शासन के खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार खेल और युवा कल्याण विभाग मध्यप्रदेश में कार्यरत राज्य स्तरीय खेल संघों को मान्यता संबंधी निम्नलिखित नियम बताना है:—

खेल संघों के मान्यता नियम

1. **संक्षिप्त उद्देश्य एवं नाम**—राज्य स्तरीय खेल संघों का सुदृढ़ीकरण करने एवं उन्हें मान्यता प्रदान कर प्रशासकीय एवं कार्यालयीन कार्यों के लिये आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु ''खेल संघों के मान्यता नियम 2012'' कहलायेंगे.

2. **परिभाषाएँ—**

(2.1) ''शासन'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय से है.

(2.2) ''खेल संघ/संस्था'' से तात्पर्य राज्य स्तर पर विधिवत गठित सक्रिय राज्य स्तरीय खेल संघ/संस्था से है.

(2.3) अधिकृत मान्यता प्राप्त खेलों से तात्पर्य जो खेल ओलम्पिक/एशियाड/राष्ट्रीय खेलों की सूची में सम्मिलित है.

(2.4) भारत सरकार से तात्पर्य युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली से होगा.

(2.5) ''संचालक'' से तात्पर्य, संचालक, खेल और युवा कल्याण, म.प्र. से होगा.

(2.6) ''संचालनालय'' खेल और युवा कल्याण, म. प्र. से तात्पर्य कार्यालय संचालक खेल और युवा कल्याण, म. प्र. से होगा.

(2.7) संचालनालय खेल और युवा कल्याण, म. प्र. द्वारा मान्यता उन्हीं खेलों के संघों को दी जावेगी जो खेल ओलम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित हों.

3. **पात्रता—**

(3.1) खेल संघों/संस्थाओं को, पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें से पंजीकृत होना चाहिए.

(3.2) संघ/संस्था, प्रोपाराईटरी या पार्टनरशिप (साझेदारी) फर्म न हो. संघ/संस्था का उद्देश्य सिर्फ उसी संबंधित खेल के विकास/संचालन से होना चाहिये, दूसरे खेलों से नहीं. संघ/संस्था का लिखित संविधान होना अनिवार्य है.

(3.3) खेल संघ/संस्था विगत 3 वर्षों से जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर अपने खेल की गतिविधियां संचालित कर रही हो तथा उसकी 50 प्रतिशत जिला इकाईयॉ* हों.

(3.4) प्रथमबार मान्यता के लिये प्रत्येक खेल संघ को उसके द्वारा कम से कम 33 प्रतिशत जिलों में विगत 3 वर्षों में आयोजित की गई जिला, संभाग एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का विवरण जिसमें आयोजन की तिथि, स्थान, खिलाड़ियों की संख्या (नाम सहित) फोटोग्राफ्स, पेपर कटिंग प्रस्तुत करना होंगे, ताकि प्रमाणित हो सके कि संस्था द्वारा उक्त गतिविधियां नियमित संचालित की जा रही हैं, तदोपरांत ही संस्था मान्यता के लिये पात्र होगी.

(3.5) संचालनालय खेल और युवा कल्याण, म. प्र. से मान्यता के समय संघ/संस्थाओं को तकनीकी कारणों को छोड़कर, विगत 3 वर्षों का सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का विधिवत् प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा. संघ/संस्थाओं की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के पूर्व उनके द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता विधिवत् रूप से आयोजित की गई हो.

(3.6) अनुदान हेतु मान्यता, संबंधित वित्तीय वर्ष के लिये मान्य रहेगी.

4. **अन्त शर्तें—**

(4.1) राज्य/संभाग/जिला स्तरीय खेल संघ/संस्थाओं के अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष का कार्यकाल भारत सरकार के मान्यता नियम के दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित किया जावेगा.

(4.2) खेल संघ का कोच किसी संघ का पदाधिकारी नहीं होगा. एक खेल संघ का पदाधिकारी किसी दूसरे खेल संघ का पदाधिकारी नहीं होगा, परंतु वह मध्यप्रदेश ओलम्पिक संघ में पदाधिकारी हो सकता है.

(4.3) संघ/संस्थायें अपने खाते का विधिवत् रख-रखाव करती हों एवं उसके खाते का वार्षिक लेखा परीक्षण किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं आवश्यकता होने पर संचालनालय खेल और युवा कल्याण, म. प्र. के आडिटर द्वारा किया हो. संघ/संस्था का अपना पेन नम्बर (PAN No.) होना आवश्यक है तथा उनके द्वारा इन्कम टेक्स रिटर्न जमा करना अनिवार्य होगा.

(4.4) विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त खेल संघों/संस्था के खिलाड़ियों को संचालन/प्रतियोगिता अनुदान, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने पर नगद पुरस्कार, खेल वृत्ति, खेल अलंकरण इत्यादि हेतु पात्रता होगी.

(4.5) खेल संघ/संस्थाओं को सूचना का अधिकार नियम 2005 अनिवार्य रूप से लागू करना होगा.

(4.6) प्रदेश में एक खेल के एक ही संघ को राज्य स्तरीय संघ की मान्यता दी जावेगी, जो कि संबंधित खेल के राष्ट्रीय महासंघ से सम्बद्ध हो, राष्ट्रीय खेल महासंघ उन्हें माना जावेगा, जो कि भारत सरकार से मान्यताप्राप्त हो.

(4.7) खेल संघ/संस्थाओं की साधारण सभा की बैठक संघों के पदाधिकारियों का चुनाव अथवा ऐसी बैठक जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाने हों, उस बैठक की सूचना संचालनालय खेल और युवा कल्याण, म. प्र. को 15 दिवस पूर्व लिखित रूप से अनिवार्यतः देनी होगी, जिससे संचालनालय, खेल और युवा कल्याण, म. प्र. अपना पर्यवेक्षक बैठक में सम्मिलित करा सके.

(4.8) संघ/संस्था, अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो माह के भीतर संचालनालय खेल और युवा कल्याण, म. प्र. को प्रेषित करेगा, जिसमें वर्षभर की खेल गतिविधियों का प्रतिवेदन अनिवार्यतः शामिल होगा.

(4.9) प्रत्येक खेल संघ/संस्था की वर्ष में एक बार साधारण सभा एवं चार वर्ष में एक विशेष बैठक आयोजित की जाना होगी, जिसमें संघ/संस्था के पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न होगा.

(4.10) खेल संघ/संस्था के सदस्यों में 25 प्रतिशत सदस्य ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होना चाहिये, जहां अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी न हो, राष्ट्रीय खेल/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ी हों.

(4.11) खेल के राष्ट्रीय महासंघ/संघ को भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता होना आवश्यक है.

(4.12) खेल संघ/संस्था का मान्यता संबंधी आवेदन दो प्रतियों में संचालक, खेल और युवा कल्याण, म. प्र. भोपाल को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा.

(4.13) संघ को चुनाव में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनानी होगी.

(5) **मान्यता—**

(5.1) राज्य स्तरीय खेल संघों को मान्यता एवं नवीनीकरण संबंधी आवेदन उसी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक संचालनालय अथवा संबंधित जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के कार्यालय में करना अनिवार्य होगा, उसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा.

(5.2) राज्य खेल संघ/ संस्था को मान्यता संचालक द्वारा दी जावेगी, जो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए मान्य रहेगी.

(5.3) संघ/संस्थाओं के वित्तीय लेखा-जोखा में अनियमितता पाई जाने पर संचालनालय द्वारा उनकी मान्यता निरस्त की जा सकेगी. किसी भी संघ/संस्था की मान्यता निरस्त/निलंबित करने का अधिकार राज्य शासन के पास सुरक्षित रहेगा.

(6) **मान्यता का नवीनीकरण—**

(6.1) एक बार मान्यता के पश्चात् मान्यता नवीनीकरण हेतु आगामी वर्षों में विगत वर्ष की उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत करना होगी.

(7) **विवादों का निराकरण—**

(7.1) शासन इन नियमों में शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन आवश्यकतानुसार कर सकेगा.

(7.2) खेल संघ/संस्था का विभाग से विधिक विवाद होने की स्थिति में विभागीय मान्यता, निराकरण होने तक स्थगित रहेगी तथा निर्णय उपरांत ही आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

निरसन—इस नियम के प्रभावशील होते ही खेल संघों को मान्यता संबंधी समस्त प्रचलित नियम, आज्ञाएं और विज्ञप्तियाँ निरस्त हो जाएंगी.

उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील माने जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. तिवारी, उपसचिव.

* ऐसे खेल जिनकी अधोसंरचना/उपकरण सभी जिलों में उपलब्ध नहीं हों—जैसे वाटर स्पोर्ट्स, घुड़सवारी, शूटिंग, आर्चरी साइक्लिंग, फैसिंग, तैराकी, बॉउलिंग एवं बिलियर्ड—स्नूकर खेलों पर लागू नहीं होगा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.